

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

क्रमांक :- दुरुस्ती/21/1484

दिनांक 13-12-21

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कल्याण शिंदे भू अभिलेख निरीक्षक शिंदे की रिपोर्ट तथा तहसीलदार भादरा/नायब तहसीलदार शिंदे की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 10 BHD तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 88/83, 22/23 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

| क्र. स. | ग्राम/चक | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|----------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 10 BHD | 88/83 | भूप, सन्तु, पप्पु | भूपसिंह, सतवीर, |
| 2 | 10 BHD | 22/23 | पि. हनुमान | पप्पुराम पि. भानीराम |

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

क्रमांक:- सम/21/1485-86

दिनांक: 13-12-21

प्रास्ताविक - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एवं बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया गया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी/प्रार्थिया भूपसिंह, सतवीर, पप्पुराम पि. भानीराम को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़